न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/10/2025 रजू दिनांकः 23.01.2025 रजि0 न0 2025/17

अपीलार्थीः–

श्री सुरेश कमार अग्रवाल, निवासी श्रीराम सदन, जावली भवन कॉलोनी स्टेशन रोड़ अलवर–301001, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 03.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 03.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2024 में वांछित सूचना के संबंध में अपील विरूद्व नगर निगम, अलवर इस न्यायालय को प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है जो की राज्य लोक सूचना अधिकारी नगर निगम अलवर के प्रथम अपीलय अधिकारी/जिला कलक्टर अलवर के श्रवणाधिकार क्षेत्र में नही है। उक्त अपील के संबंध में प्रथम आवेदन में वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होकर नगर निगम अलवर से संबंधित होने के कारण इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपील के अनुक्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलार्थी अग्रिम जानकारी/वांछित सूचना के संबंध में नगर निगम अलवर के कार्यालय को पृथक से सूचना आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करें अथवा उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अपीलय अधिकारी महापौर (मेयर) नगर निगम अलवर, जिला अलवर को सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र मनन किया। प्रस्तुत अपील के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में चाही गई वांछित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी नगर निगम अलवर, जिला अलवर के विरूद्व पेश की गई है। जिनके प्रथम अपील अधिकारी महापौर (मेयर) नगर निगम अलवर, जिला अलवर है। उक्त अपील के प्रथम अपीलाधीकारी महापौर (मेयर) नगर निगम अलवर, जिला अलवर होने के कारण मूल पत्रावली मय निर्णय प्रमाणित प्रति आगामी सुनवाई हेतु प्रथम अपीलय अधिकारी महापौर (मेयर) नगर निगम अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जावें।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)